

17.07.2025 वकील वादीगण अनुपस्थित न्यायालय समय
की समाप्ति तक पृथक² समय में वकील मय वादी को आवाने
दिलवाई गई। लेकिन वकील व वादी में से कोई उपस्थित
नहीं हुआ है। लिहाजा वादी का वाद अदम पैरवी व अदम
हाजिरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली कैसल सुमार होकर दायरेल इस्तर हो।

अहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा